माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन का अध्ययन

(सहारनपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. रतन सिंह
असि. प्रो.-बी.एड.
कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर

सारांश

औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय एक सशक्त माध्यम के रूप में विधमान है। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के मध्य एक कड़ी का काम करती है। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राएं किशोर अवस्था में होते है। किशोरावस्था को आंधी-तूफान कि अवस्था कहा जाता है ऐसी अवस्था में अध्यापकों का परम दायित्व होता है कि वें छात्रों के समायोजन करने में सहायता करें परन्तु यदि अध्यापक स्वयं समायोजित नहीं है तो वो छात्रों के समायोजन में सहायक नहीं हो पाएगे। अध्यापकों की समस्याओं को दूर कर सरकार, प्रबंध तंत्र, समाज, अध्यापकों को अपने विद्यालय एवं परिवेश में समायोजन करने में सहायक होगा। भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा समीक्षा हेतु गठित ताराचंद समिति (1948) 1952 में "माध्यमिक शिक्षा आयोग", 1965-66 में "राष्ट्रीय शिक्षा आयोग" (कोठारी आयोग) ने भी अपनी सिफारिशों में अध्यापक समायोजन पर विशेष बल दिया है।

मुख्य शब्द

माध्यमिक स्तर, समायोजन, आयोग, शैक्षिक, समष्टि, परिसूची, सांख्यिकीय, प्रविधियां

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1948 में विश्वविद्यालय आयोग (राधाकृष्णन कमीशन) का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में एक सुझाव यह भी दिया की विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाये। 1948 में ही भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा हेतु "ताराचंद समिति" का गठन किया था। इस समिति द्वारा शिक्षकों के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया कि शिक्षकों के वेतनमान और सेवाशर्ते "केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड" के प्रस्तावों के अनुकूल हो।

भारत सरकार के द्वारा 1952 में "माध्यमिक शिक्षा .आयोग" का गठन किया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उचित मानदंडो की सिफारिश की गयी साथ ही माध्यमिक शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने की सिफारिश की गयी जो समय-समय पर महंगाई को ध्यान में रखकर निश्चित स्तर के शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करे तथा समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनमान समान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हो ताकि उनके समायोजन में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। राष्ट्रीय

शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) 1965-66 द्वारा भी शिक्षकों के समायोजन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गये।

समाज के विकास में विद्यालयों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार विद्यालयों में शिक्षकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। विद्यालयों में शिक्षा प्रक्रिया द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है।

समाज में नित नये परिवर्तन दृष्टिगोचर होते रहते हैं। नवीन परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं अन्वेषणों के तदनुरूप बदलते समय एवं ज्ञान के साथ समाज में तादात्म्य स्थापित करना होता है, साथ ही समाज को यह व्यवस्था करनी होती है कि परिवर्तन शील दशाओं में उसकी भावी पीढ़ी जो उसका भविष्य है, कुसमायोजित होकर अनुपयोगी न हो जाये। इस हेतु ही शिक्षण व्यवस्था की रचना कर समाज ने उसे शिक्षकों के हाथों में सौंप दिया है। शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने हेतु शिक्षकों का समायोजित होना भी अति आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़कर बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समय-समय पर कई शैक्षिक कार्यक्रम जैसेः- शिक्षा गारंटी योजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आदि चलाये गये। इस प्रकार के कार्यक्रमों की सफलता एवं क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा भरसक प्रयास किया गया परन्तु इनमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी इन योजनाओं के पूर्ण हो पाने या न हो पाने में अन्य कारणों के साथ-साथ अध्यापकों के समायोजन की भी भूमिका होती है। अध्यापकों का सही रूप से समायोजित न हो पाना, जहाँ उनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को भी प्रभावित करता है।

उद्देश्यः- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य- "माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन का अध्ययन करना।"

न्यादर्शः- प्रस्तुत अध्ययन की समष्टि के रूप में सहारनपुर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया है। इस समष्टि में से न्यादर्श के रूप में माध्यमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों (50 ग्रामीण व 50 शहरी) का उद्देश्य परक न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है।

सीमांकनः- प्रस्तुत अध्ययन को सहारनपुर जनपद के विद्यालयों के शिक्षकों तक सीमित किया गया है।

उपकरणः-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु डॉ. एस.के मंगल द्वारा निर्मित "मंगल शिक्षक समायोजन परिसूची (लघुरूप)" (Mangal Adjustment Inventory Short Film) का प्रयोग प्रदत्तो के संकलन हेतु किया गया। इस समायोजन परिसूची का निर्माण भारतीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन या कुसमायोजन का निर्धारण करने हेतु किया गया है। इस परिसूची में कुल 70

पद है। जिनका उत्तर दो विकल्प हां या ना के रूप में देना है। लेखक द्वारा इस परिसूची का निर्माण क्रमबद्ध रूप में एवं अत्यन्त सावधानी पूर्वक किया गया है। ये एक मानकीकृत परिसूची है।

प्रदत्तो का विश्लेषण, परिणाम एवं विवेचनाः-

डॉ.एस.के. मंगल द्वारा निर्मित समायोजन परिसूची को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की माध्यमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों (50 शहरी व 50 ग्रामीण) पर प्रसारित किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा करने पर प्राप्त परिणामों को तालिका क, ख, ग में प्रदर्शित किया गया है।

अध्यापकों का समायोजन प्रदर्शित करती तालिका (ग्रामीण अध्यापक)

तालिका "क"

समायोजन का विवरण	**अध्यापकों का प्रतिशत**
बहुत अच्छा	30 प्रतिशत
अच्छा	50 प्रतिशत
औसत	16 प्रतिशत
निम्न	4 प्रतिशत
अत्यधिक निम्न	0 प्रतिशत

अध्यापकों का समायोजन प्रदर्शित करती तालिका (शहरी अध्यापक)

तालिका "ख"

समायोजन का विवरण	**अध्यापकों का प्रतिशत**
बहुत अच्छा	40 प्रतिशत
अच्छा	44 प्रतिशत
औसत	16 प्रतिशत
निम्न	3 प्रतिशत
अत्यधिक निम्न	0 प्रतिशत

अध्यापकों का समायोजन प्रदर्शित करती तालिका (पुरुष एवं महिला अध्यापक)

तालिका "ग"

समायोजन का विवरण	**अध्यापकों का प्रतिशत**
बहुत अच्छा	35 प्रतिशत

अच्छा	47 प्रतिशत
औसत	14.5 प्रतिशत
निम्न	3.5 प्रतिशत
अत्यधिक निम्न	0 प्रतिशत

विवेचनाः-

तालिका "क" में स्पष्ट है कि ग्रामीण अध्यापकों में 30 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन अपने शैक्षिक परिवेश में बहुत अच्छा पाया गया। 50 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन अच्छा, 16 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन औसत स्तर का पाया गया तथा 4 प्रतिशत अध्यापक निम्नस्तर पर समायोजित पाए गए। कोई भी ग्रामीण परिवेश का अध्यापक निम्नस्तर पर समायोजित नहीं पाया गया।

तालिका "ख" से स्पष्ट है कि शहरी अध्यापकों में 40 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन अपने शैक्षिक परिवेश में बहुत अच्छा पाया गया। 44 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन अच्छा, 13 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन औसत स्तर पर पाया गया तथा 3 प्रतिशत अध्यापक निम्नस्तर पर समायोजित पाए गए। शहरी क्षेत्र का कोई भी अध्यापक अत्याधिक निम्नस्तर पर समायोजित नहीं पाया गया।

तालिका "ग" से स्पष्ट कि माध्यमिक स्तर के अध्यापकों (ग्रामीण व शहरी) में 35 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन अपने शैक्षिक परिवेश में बहुत अच्छा पाया गया। 47 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन अच्छा, 14.5 प्रतिशत अध्यापकों का समायोजन औसत स्तर का पाया गया तथा 3.5 प्रतिशत अध्यापक निम्नस्तर पर समायोजित पाए गये।

निष्कर्षः-

उपरोक्त आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि अधिकतर ग्रामीण व शहरी परिवेश के विद्यालयों के अध्यापकों ने अपने-अपने में सही प्रकार से समायोजन कर रखा है तथा जिन अध्यापकों का समायोजन कम आया है। उसका कारण विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होना है।

विद्यालय प्रबंधन तथा ग्रामवासियों का विद्यालय में अनावश्यक दखल देना, कुछ अध्यापकों का अन्तर्मुखी होना, अपने सम्मान के प्रति संदेहप्रद रहना, विद्यालयों का मुख्य मार्ग से दूर होना (महिला अध्यापकों के सम्बन्ध में) आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त अध्यापकों द्वारा छात्र-वृत्ति, मिड-डे-मिल (कक्षा 6 से 8) विद्यालय रख-रखाव आदि के कारण भी अध्यापकों को समायोजन में कठिनाई होती है। छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति, विद्यालयों में शौचालयों का अभाव, विद्यालयों में विद्युत का अभाव, पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का न होना, अभिभावकों का सक्रिय सहयोग न मिलना भी समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक पाए गये जिनके कारण अध्यापकों का समायोजन प्रभावित होता है।

तालिका "क" व "ख" की तुलना करने पर ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों के समायोजन में सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है परन्तु कुछ एक बिन्दुओं जैसे शौचालयों की कमी, विद्यालयों का मुख्य मार्ग से दूर होना आदि ग्रामीण शिक्षकों के समायोजन को शहरी शिक्षकों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है।

उक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वर्णित समस्याओं से निजात पाकर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन को बेहतर बनाया जा सकता है तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि को भी बेहतर बनाया जा सकता है क्योंकि बेहतर रूप से समायोजित शिक्षक ही छात्र-छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर सकते है।

शिक्षा प्रशासकों, प्रबन्धकों, नियोजकों, अभिभावकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षा की मजबूत नींव पड़ सके। महिला शिक्षकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाना, अध्यापकों से मूल विषयो का अध्यापन करवाना, अध्यापकों के सामने आने वाली समस्याओं को प्रशासकों, नियोजकों, स्थानीय जिम्मेदार व्यक्तियों, अभिभावकों व अध्यापकों द्वारा मिलकर दूर किया जा सकता है।

सन्दर्भः-

- भारतीय आधुनिक शिक्षा, यादव सतीश कुमार-"अध्यापक शिक्षा-समस्या व चुनौतियाँ" 30 (2) 79-85, एन.सी.ई.आ.टी., नई दिल्ली, 2009।
- भारतीय आधुनिक शिक्षा, रायजादा रमाकर, एन.सी.ई.आ.टी., नई दिल्ली, 2010।
- शिक्षा मनोविज्ञान, माथुर एस.एस., विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 2000।
- शिक्षा मनोविज्ञान, सिंह अरुण कुमार, बनारसीदास मोतीलाल प्रकाशन, पटना, 2010।
- अनुसंधान विधियाँ-व्यवहार परक विज्ञानों में, कपिल एच.के.एच.पी. भार्गव बुक हाऊस, आगरा, 2012।
- एडवांस एजुकेशन साईकोलॉजी, मंगल एम.के, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली, 2011।
- शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग, गैरेट, हेनरी ई., कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1995।